<u>कार्यालय, नगरीय निकाय निदेशालय</u> "OM&M Cell"(Operation, Maintenance and Management Cell) प्लाट नं0–18, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ।

पत्र संख्या- 01 / OM&M / Package- 4, Lucknow / 2019-20

दिनांकः 10 फरवरी, 2020

प्रमुख सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में दिनांक 07.02.2020 को सायकाल 05:00 बजे स्थानीय निकाय निदेशालय के पंचम तल पर स्थित समागार में सम्पन्न हुयी बैठक का कार्यवृत्त।

विषय:- उत्तर प्रदेश में स्थापित एस0टी0पी0 व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य। (Package- 4, Lucknow)

संदर्भ:- 1. नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-503/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020

2. नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-504/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020

प्रमुख सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में दिनांक 07.02.2020 को पैकेज-4, लखनऊ के लिए माह नवम्बर, 2019 में फर्म- M/s. SUEZ India Private Limited द्वारा कराये गये कार्यों के सापेक्ष तथा उत्तर प्रदेश, जल निगम से प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल पर धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निर्णय लेने हेतु शासन के पत्र दिनांकित 03.02.2020 द्वारा गठित समिति की बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। (संलग्नक-1)

क्र0सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री विकास गोठलवाल	सदस्य / प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ
2.	डॉ0 काजल	सदस्य/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ
3.	श्री आर०के० चौधरी	सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश।
4.	श्री राम करन,	सदस्य / (आर०ओ० लखनऊ) प्रतिनिधि— सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
5.	श्री उपेन्द्र तिवारी	सदस्य / सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ
6.	श्री संजय कुमार सिंह	मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, (ल०क्षे०)
7.	श्री एस०के० गुप्ता	महाप्रबंधक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, जल निगम लखनऊ
8.	श्री राजेश कुमार	परियोजना प्रबंधक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, जल निगम लखनऊ
9.	श्री पंकज कुमार यादव	परियोजना प्रबंधक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई (विद्युत / यांत्रिक). जल निगम लखनऊ
10.	श्री अरविन्द कुमार शर्मा	परियोजना निदेशक, मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि०, लखनऊ

2. नगर विकास विभाग के शासनादेश सं0-5483/ नौ-5-2017-447सा/2017 दिनांक 12.02.2018 द्वारा एस0एम0सी0जी0 के माध्यम से लखनऊ नगर के समस्त एस0टी0पी0 व इससे जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के दीर्घकालीन संचालन, रख-रखाव एवं प्रबन्धन का कार्य वन सिटी वन ऑपरेटर के सिद्धान्त पर मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि०, हरियाणा को अवार्ड एवं अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया था। मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि०, हरियाणा द्वारा अनुबंध सं0-09/SGRCA/2017-18/(OM&M)/Package 4, Lucknow के अन्तर्गत दिनांक 01.11.2019 से लखनऊ शहर के 3 एस.टी.पी., 30 सीवेज पियंग स्टेशन एवं

Manaf

लगभग 2140 कि.मी. सीवर नेटवर्क के अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबन्धन का कार्य प्रारम्भ किया गया। फर्म-मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा0लि0 के पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल सेटलमेन्ट की संस्तुति हेतु नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-504/नौ-5-2020-394सा/2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा समिति का गठन किया गया है (संलग्नक-2)।

3. बैठक में मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि० के श्री अरिवन्द कुमार शर्मा, परियोजना निदेशक द्वारा प्रेजेन्टेशन देते हुए अवगत कराया गया कि माह नवम्बर—2019 में 345 एम०एल०डी० एस०टी०पी० भरवारा पर 345 एम०एल०डी० के सापेक्ष औसतन 289.49 एम०एल०डी०, 42 एम०एल०डी० दौलतगंज पर 42 एम०एल०डी० के सापेक्ष औसतन 44.45 एम०एल०डी० एवं 14 एम०एल०डी० दौलतगंज पर 14 एम०एल०डी० के सापेक्ष औसतन 14.85 एम०एल०डी० सीवेज का शोधन डिजाइन पैरामीटर के अनुरूप किया गया है। बैठक में उपस्थित अन्य सदस्यों द्वारा भरवारा एस०टी०पी० के माह नवम्बर का औसत फीकल कॉलीफार्म 6313.33 को अत्यधिक बताया गया। जिसके क्रम में श्री अरिवन्द कुमार शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि भरवारा एस०टी०पी० की डिजाइन 10000 फीकल कॉलीफार्म के लिये की गयी है एवं परिणाम डिजाइन पैरामीटर के अन्दर है। फर्म द्वारा एस.टी.पी. परिसर में स्थापित लैबोरेटरी में प्रत्येक दिन की सैम्पलिंग एवं टेस्टिंग की गयी हैं जिसका टेस्ट चेक उ०प्र० जल निगम के अभियन्ता द्वारा किया गया है। माह नवम्बर में फर्म द्वारा एस.टी.पी., इससे जुड़े इन्फास्ट्रक्चर एवं सीवर नेटर्वक के इम्प्रूवमेन्ट का विवरण तथा कस्टमर केयर में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति से अवगत कराया गया। (संलग्नक—3/प्रस्तुतीकरण की प्रिति)

4. महाप्रबंधक, उ०प्र० जल निगम द्वारा माह नवम्बर—2019 के भुगतान के सम्बन्ध में प्रमाणित बिल एवं सम्पादित कार्य का प्रस्तुतीकरण दिया गया (संलग्नक—4)। उ०प्र० जल निगम द्वारा अपने पत्र सं०—234/ए.सी.—6/9 दिनांक 20.01.2020 द्वारा फर्म—मेसर्स सुएज इण्डिया प्राठलिठ के नवम्बर माह के पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल को प्रमाणित करते हुए भुगतान अवमुक्त किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को जमा किया गया है। श्री पीठकेठ यादव, परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा प्रस्तुत पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल के सापेक्ष बीलिंग ब्रेकअप के अनुसार रूठ 70079021.00 जीठएसठटीठ सहित एवं डीजल पर हुये व्यय को सम्मिलित करते हुये भुगतान हेतु संस्तुति की गयी है। 345 एमठएलठडीठ एसठटीठपीठ भरवारा एवं 42 व 14 एम.एल.डी. दौलतगंज एस.टी.पी. पर इनलेट एवं आउटलेट का सैम्पुल टेस्ट थर्ड पार्टी द्वारा भी कराया गया है जोकि नॉर्मस के अन्तर्गत है। (संलग्नक—5)

- 5. रीजनल ऑफिसर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि माह नवम्बर में दिनांक 07.11.2019 एवं 25.11.2019 को दौलतगंज एवं भरवारा एस०टी०पी० से एकत्रित किये गये सैम्पुल की टेस्ट रिपोर्ट एस०टी०पी० हेतु निर्धारित पैरामीटर के अनुरूप नहीं पायी गयी (संलग्नक—6)।
- 6. सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुबंध के Volume-1, Section-V, Clause 5.5.1 के अन्तर्गत Treated effluent quality (KPIs) में Mandatory पैरामीटर के सम्बन्ध में अवगत कराया। फीकल कॉलीफार्म 1000 से कम होना चाहिये। अनुबंध के Volume-1, Section-IV, Clause 39 में फर्म द्वारा संपादित कार्य की प्रक्रिया निर्धारित की गयी हैं। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 07.11.2019 एवं 25.11.2019 को प्रेषित टेस्ट रिपोर्ट निर्धारित पैरामीटर के अनुरूप न पाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए, फर्म द्वारा प्रस्तुत पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल से कुल दो दिनों के भुगतान की कटौती किया जाना उचित होगा (सलग्नक-7)।
- 7. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा शासनादेश में निहित प्राविधान एवं अनुबंध की शर्तों के अनुसार उ०प्र० जल निगम को मासिक प्रमाणित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का 10 प्रतिशत सेन्टेज/सुपरवीजन चार्जेस भुगतान करने का अनुरोध किया गया।
- 8. सिमिति की संस्तुति:— उपरोक्तानुसार, मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा०लि०, उ०प्र० जल निगम द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण तथा उ०प्र० जल निगम द्वारा पैकेज—4, लखनऊ जोन के माह नवम्बर 2019 का प्रमाणित पेमेन्ट सिटिंफिकेट/बिल एवं फर्म की Laboratory की प्रत्येक दिन की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लिब की टेस्ट रिपोर्ट, दिनांक 07.11.2019 एवं 25.11.2019 को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पुल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार धनराशि उ०प्र० जल निगम को शासन/निदेशालय से अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

Hanal'

斯. 刊.	विवरण	. धनराशि (६०)
l.	उ०प्र0 जल निगम द्वारा माह नवम्बर, 2019 के वेमेन्ड सिटिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जान वाली धनगशि	00 602,79,022/-
2.	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	70 72,33,482/-
3.	प्यूल चार्जरा (As per actual Certified by UPJN)	₹0 98,983 /-
4.	उ०प्र0 जल निगम को देय रोन्टेज सुपरवीजन वार्जेस (10 प्रतिशत)	70 60,27,902/-
5.	कुल धनराशि	50 7,36,39,390/-

शासनादेश संख्या—849 / नौ—9—19—89ज / 2001 दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा रु० 250 करोड प्रतिवर्ष एस.टी.पी. के अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी है जिसके सापक्ष उ०प्र० जल निगम का उक्त धनराशि अवमुक्त की जानी है।

> (मनीज कुमार सिंह) प्रमुख गर्भक्षः नगर विकास विभग

प्रतिलिपि:- सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

